न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 29 / 2023
मुकेश कुमार पुत्र श्री काशी राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 6 डबली बास चौना, 14 जे आर के बी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
2. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र केहरसिंह जाति जटसिख निवासी 16 टीआरके तह0 हनुमानगढ।
3. जगतपाल पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी 16 टीआरके तह0 हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 01–11–2023 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ द्वारा अनवानी प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता खुलवाये जाने चक न. 15 जे डी डब्ल्यू के पं.न. 50 / 244 मु.न. 90 किला न. 16–25 मे रास्ता खुलवाने के सबंध मे पारित आदेश अपास्त करवाने बाबत।

उपस्थितः– 1. श्री मनोज अरोड़ा अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराजसिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 01
3. श्री सोहनलाल सहारण अभिभाषक रेस्पो0 02,03

–:निर्णयः–

दिनांकः–27.11.2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि चक न. 15 जे डी डब्ल्यू के काश्तकार ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक न. 15 जे डी डब्ल्यू के पं.न. 50 / 244 मु.न. 90 किला न. 16–25 मे रास्ते को खुलवाये जाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 1–11–2023 को अपीलान्ट की कृषि भूमि चक न. 15 जे डी डब्ल्यू के पं.न. 50/244 मु.न. 90 किला न. 16–25 मे रास्ता खुलवाये जाने के आदेश फरमाये गये है जो विधि के आज्ञापक तथ्यो के विपरीत होने तथा विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाई राकेश कुमार के नाम से वाका चक न. 15 जे डी डब्ल्यू पटवार हल्का पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ मे मुताबिक जमाबंदी सवत् 2075–78 के खाता सं. 133 / 93 मे पं.न. 50 / 244 मु.न. 90 किला न. 16, 25 पं.न. 51 / 244 मु.न. 89 किला न. 19, 20, 21, 22, 23, 24 कुल तादादी 8 किता यानि 2.024 हैक्टर नहरी आराजी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। चक के कुछ काश्तकारो द्वारा रेस्पोडेन्ट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 15 जे डी डब्ल्यू के पं.न. 50 / 244 मु.न. 90 किला न. 16, 25 मे रास्ता चालू होना बताया है, जिसे पुनः चालू करवाने का कथन अपने प्रार्थना पत्र मे किया। रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने पत्र क्रमांक / राजस्व / 2023 / 673 दिनांक 01–11–2023 के आधार पर चक 15 जे डी डब्ल्यू मे रास्ता खुलवाये जाने के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है जो निम्न आधारो पर काबिल खारिजी के है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:19:42 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत बिना कोई जांच किये प्रभावित पक्षकारो को बिना कोई नोटिस जारी किये आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत मनमाने रूप से बिना दस्तावेजी साक्ष्यो पर गौर किये पारित किया गया होने के [illegible] काबिल खारिजी के है। प्रश्नगत भूमि चक 15 जे डी डब्ल्यू की कृषि भूमि पं.न. 50 / [illegible] न. 90 किला न. 16, 25 मे रास्ता कभी चालू नही रहा व न ही कोई रास्ता स्वीकृत है। अपीलाधीन निर्णय मे पूर्व मे रास्ता चालू होने का मुख्य आधार प्रार्थना पत्र को माना है जबकि अपीलान्ट की भूमि मे कभी भी रास्ता चालू नही रहा है व न ही अपीलान्ट की कृषिभूमि मे

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

वार्ड पंचो द्वारा कोई मौका निरीक्षण किया गया है। केवल मात्र आफिस मे बैठकर अन्य काश्तकारो को अनुचित लाभ देने के लिये उक्त दस्तावेज तैयार किये गये है। उक्त किला मे कभी भी रास्ता नही रहा है। ग्रामीणो को अन्य भूमि मे जाने हेतू पूर्व मे ही मंजूरशुदा रास्ता दूसरी ओर से चल रहा है। इसलिए निर्णय काबिल खारिजी के है। पटवारी हल्का द्वारा बिना कोई जांच व बिना कोई सुनवायी किए राजनैतिक व चुनावी रंजिश के आधार पर अपीलान्ट को नुकसान पहुँचाने के उददेश्य से पुलिस की मदद से अपीलान्ट की भूमि मे जबरदस्ती रास्ता खुलवाने पर आमादा है, इसलिए अपीलाधीन निर्णय काबिल खारिजी के है। काश्तकारो द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विधि के आज्ञापक प्रावधानो को ताक मे रखकर जबरन रास्ता खुलवाने पर आमदा है जबकि रास्ता बाबत उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना रास्ता खुलवाने पर आमादा है। काश्तकारो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 आर टी ए की परिधि मे नही आता है क्योकि अपीलान्ट की भूमि मे कभी भी रास्ता चालू नही रहा है व न ही अपीलान्ट की भूमि मे स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। रेस्पोडेन्ट को रास्ता स्वीकृत करने एवं चालू करवाने का कोई क्षेत्राधिकार नही है। ग्रामीण द्वारा अपना मूल आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तहसीलदार ने उक्त आवेदन पत्र पर बिना कोई जांच किए व रास्ता के संबंध मे पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट मंगवाए बगैरा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतू भू अभिलेख निरीक्षक को प्रेषित कर दिया। तहसीलदार को मौका पर रास्ता चालू था या नही इस सबंध मे पूर्ण जांच करवायी जानी थी। धारा 251 आर. टी. ए. के तहत किसी स्वीकृतशुदा रास्ता मे बाधा कारित होने की स्थिति मे ही अधीनस्थ न्यायालय को रास्ता खुलवाने का अधिकार है। किसी खातेदार की कृषिभूमि मे नया रास्ता बनाने (To create) का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकारिता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकारिताहीन होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे व अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–11–2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक तथा रेस्पोडेन्ट सं0 02 व 03 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने पत्र क्रमांक / राजस्व / 2023 / 673 दिनांक 01–11–2023 के आधार पर चक 15 जे डी डब्ल्यू मे रास्ता खुलवाये जाने के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे व अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–11–2023 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा उक्त चक में रास्ता खुलवाने के संबंध में पारित आदेश, विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 सं0 02, 03 ने अपनी बहस में कथन किये कि अप्रार्थीगण तथा ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र के आधार पर चक 15 जे डी डब्ल्यू के पत्थर नंबर 50 / 244 (90) के किला नंबर 16 व 25 में से रास्ता से बाधा [illegible] आदेश पारित किया जाना स्वीकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] सिद्धांतो के अनुरूप पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] रास्ता मंजूर नहीं किया गया बल्कि 40–50 वर्षो से चल रहे रास्ता में अपीलाण्ट द्वारा [illegible] गये अवरोध हटाने का आदेश पारित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाकर मौका की रिपोर्ट लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त रास्ता चक 15 जे.डी.डब्ल्यू. व चक 16 जेआरके के दोनो चकों का रास्ता है। उक्त पत्थर नंबर 50/244 (90) के किला नंबर 5, 6, 15,

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:19:42 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

16, 25 में रास्ता 40–50 वर्षो से चल रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता के किला नंबर 16 व 25 में अवरोध पैदा होने से दोनो चको के काश्तकारों को अपने खेतो व आबादी में जाना असंभव हो गया है तथा अपने खेतो में काश्त करना भी असंभव हो रहा है। करीब 40–50 वर्षो से चल रहे रास्ता को चालू रखने से अपीलाण्ट को कोई ना पूरा होने वाला नुकसान नहीं हो रहा है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाया जाव। बहस के समर्थन में RRT 2018(1) Page no. 118 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. काश्तकारान द्वारा 30.10.2023 को तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को रास्ता चालु करवाने बाबत प्रार्थना दिया गया परन्तु दिनांक 03.11.2023 फर्द मौका कार्यवाही के समय निगरानीकर्ता को नहीं सुना गया। फर्द मौका के अनुसार निगरानीकर्ता को सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाना पत्रावली पर नहीं है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लघंन है।
2. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश कमांक 673 दिनांक 01.11.23 द्वारा चक 15 जेडीडब्ल्यू के पत्थर नंबर 50/244 (90) के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में भू0अ0 निरीक्षक पक्का भादवा को आदेशित किया कि पटवारी के सहयोग प्राप्त कर उक्त चक में रास्ता खुलवाया जावे। उक्त आदेश विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ के रास्ता खुलवाये जाने बाबत आदेश दिनांक 01–11–2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:19:42 IST
Reason: SelfAttested